Scheme to provide shelter of the uprooted Dalits

1934. SHRI S.S. SURJEWALA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the number of Harijan/Dalit families uprooted and forced to migrate from their houses;

(b) whether Government propose to construct pucca houses for such families whose houses were fully demolished/damaged due to flood;

(c) if so, the details therof; and

(d) whether Government propose to make a provision for their shelter, winter clothings, ration and also employment job such members of families?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (d) Under the existing scheme, the State Governments undertake relief and rehabilitation measures in the wake of natural calamities out of corpus of Calamity Relief Fund (C.R.F.) The provision in the Calamity Relief Fund can be utilised inter-alia for the following purposes also:

(a) Repair, re-construction/relocation of damaged houses;

(b) Operation of Relief Camps;

(c) Distribution of clothes/utencils to the displaced families;

(d) Additional Employment Generation.

As per the provisional reports received from the State Governments about 6.00 lakh houses have been damaged fully due to floods etc. during the current year. However, no specific statistics is maintained in regard to Harijan/Dalit families uprooted due to floods.

कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान

1935. **श्री रामजी लाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संसद के वर्तमान सत्र में कृषि की समस्याओं के समाधान हेतु विधेयक प्रस्तुत करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गेहूं, चना और तिलहनों के समर्थन मूल्य की घोषणा कर चुकी है;

(ग) क्या सरकार ने समर्थन मूल्यों की घोषणा करते समय किसानों के समक्ष आने वाली समस्याओं अर्थात बढ़ी हुई दरों (बीजों, उर्वरकों और औषधियों) और कम राजसहायता को ध्यान में रखा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मूल्य में वृद्धि करने का विचार रखती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने 1996-97 में बेची जाने वाली 1995-96 की फसल के गेहूं, चने और रबी तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी तक घोषित नहीं किये हैं।

(ग) और (घ) सरकार प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों के विचारों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और संगत कारकों को ध्यान में रखकर करती है। मूल्य नीति पर सिफारिशें करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग, उत्पादन लागत, आदानों के मूल्यों में परिवर्तन, आदान/उत्पादन मूल्य में साम्यता, बाजार मूल्यों का रुख किसानों द्वारा भुगतान किए गए मूल्यों तथा उन्हें प्राप्त मूल्यों के बीच साम्यता (व्यापार शर्तें), आदि जैसे कई महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करती है। उत्पादन लागत में—बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई प्रभार जिसमें पंप सैटों आदि को चलाने के लिए डीज़ल/बिजली की लागत भी शामिल है, जैसी सामग्री आदानों के उपयोग पर नकदी वस्तुरूप में व्यय के अलावा भुगतान की गई सभी लागतों जैसे किराये पर लिया गया मानव श्रम, बैलों का श्रम/मशीन का श्रम (दोनों किराये वाला तथा स्वामित्व वाला) तथा लीज वाली भूमि के लिए अदा किया गया किराया आदि को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा, उत्पादन लागत में भूमि तथा पारिवारिक श्रम सहित स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियों का इम्प्यूटेड मूल्य भी शामिल होता है जिसके लिए किसान नकद खर्च नहीं करता है।